चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी, पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग

कुरील द्वारा आज दिनाँक 13.03.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 31/23 धारा 307 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त अरविन्द कुमार पटेल पुत्र स्व0 धर्मराज पटेल उर्फ अनुसइया निवासी तालातीर मजरा,मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.07.2023 को वादी विद्याधर पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी तालातीर मजरा,मडैयन द्वारा थाना बहिलपुरवा पर सूचना दी गयी कि कि अभियुक्त अरविन्द कुमार उपरोक्त द्वारा उनके पिता ठाकुर प्रसाद पर जान से मारने की नियत सें कुल्हाडी से गर्दन के पास मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया । सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 31/23 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को दिनांक 26.07.2023 को गिरफ्तार कर दिनाँक 27.08.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) श्री मती शैफाली यादव द्वारा आज दिनांक 13.03.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामसिंह पुत्र परसन सिंह निवासीगण हरदौली चौकी गनीवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3794/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(4). आज दिनाँक 13.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी साथ ही साथ रैतिक परेड की तैयारी का जायजा लेकर प्रतिसार निरीक्षक को सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन

तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरटीसी बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण किया गया। बाद निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को उनके होने वाले आउटडोर, इनडोर की परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान को गई। सभी रिक्रूट आरक्षियों को पूर्ण दक्षता,मनोयोग से परीक्षा में सम्मिलित होने को बताया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव,प्रभारी आरटीसी शिवमूरत यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(5). आगामी 27 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाले चैत्र रामनवमी एवं 'चित्रकूट गौरव दिवस' को भव्य एवं स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में जनपद के प्रमुख मठ-मंदिरों, अखाड़ों के महंतों, साधु-संतों, धर्मशाला व आश्रम संचालकों, होटल व लॉज स्वामियों सहित व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों और समस्त विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने सभी पक्षों से समन्वय स्थापित कर इस आयोजन को जन-उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान विभिन्न संगठनों एवं समाजसेवियों द्वारा सामूहिक रूप से 11 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय ने जन-उत्साह को देखते हुए विस्तारित करते हुए 22 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस दीपोत्सव में पण्डा, नाविक, टैक्सी समाज, व्यापारिक संगठनों, सभासदों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

महोत्सव की रूपरेखा साझा करते हुए बताया गया कि रामघाट पर सायं काल भव्य दीपदान के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

स्थानीय एवं लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन। दीवारी नृत्य: बुंदेलखंड की पारंपरिक लोक कला का सजीव चित्रण।

प्रमुख स्थलों पर भव्य रंगोली एवं आकर्षक आतिशबाजी।

समस्त आयोजन स्थल पर चाक-चौबंद प्रशासनिक एवं सुरक्षा।

जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग ने कहा कि चित्रकूट गौरव दिवस जन-भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी विभाग, सामाजिक संगठन और मीडिया प्रतिनिधि आपसी सहयोग से इस गौरवशाली आयोजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने पर्व के दौरान यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों हेतु आश्वस्त किया।